संख्या- 400 / उन्तीस(2)/11–2(05पे0)/2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।
2. प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2011

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य सैक्टर ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य सैक्टर ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम को ₹ 80.00 लाख एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को ₹ 320.00 लाख अर्थात कुल ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	**जनपद**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि**		
		जल संस्थान	**पेयजल निगम**	**कुल**
01	**02**	**03**	**04**	**05**
01	बागेश्वर	80.00	0.00	80.00
02	अल्मोड़ा	80.00	0.00	80.00
03	पिथौरागढ़	80.00	0.00	80.00
04	नैनीताल	80.00	0.00	80.00
05	ऊधमसिंहनगर	0.00	80.00	80.00
	योग :–	**320.00**	**80.00**	**400.00**

2– उक्त धनराशि का आहरण प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में जमा कर आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये। धनराशि आहरण कर पी0एल0ए0 में भी रखी जायेगी तथा पी0एल0ए0 से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

....................2

3– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्या 1016/उन्तीस/05–2–पे0/2005 दिनांक 15.05.2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सासद, मा0 विधायकगण, सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एंव मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलो/कार्यो पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक पूर्ण उपयोग कर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्प ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं लगाये जायेगे जहॉ पर पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो।

8– कार्य करते समय/व्यय करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना कर की जायेगी।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 909/XXVII(2)/11 दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 508(1) /उन्तीस(2)/11–2(05पे0) /2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
7. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

..........................3

9. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव